**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस**

**अपील संख्याः 54/12** **निर्णय दिनांकः– 23–12–2019**
**(आरसीएमएस संख्या 2012/00149)**

1. जीयाराम पुत्र कृष्ण जाति ब्राहमण निवासी रासीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर। (फौत)

1/1. जगदीश
1/2. बालचन्द
1/3. प्रेम
1/4. मुरली
1/5. भंवरी
| पुत्र/पुत्रियॉ जीयाराम

–अपीलांट्स

**–बनाम–**

1. सुन्दरलाल | पुत्रगण फूसाराम
2. हरिकिशन |
3. डालचन्द | पुत्रगण भंवरलाल
4. मूलचन्द |
5. मु. कमला देवी बेवा भंवरलाल
6. बजरंगलाल | पुत्रगण माणकचन्द
7. कमलकिशोर |
8. मु. रामीदेवी बेवा माणकचन्द जाति नाई निवासी देशनोक तहसील व जिला बीकानेर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

**अपील विरुद्व आदेश दिनांक 17–02–2012**
**उपखण्ड अधिकारी, नोखा**

**उपस्थितः–**
1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**–निर्णय–**

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 17–02–2012 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि वाके रोही रासीसर के खेत खसरा नम्बर 265 तादादी 22 बीघा 13 बिस्वा जोकि दौराने भू–प्रबन्ध में नये खसरा नम्बर 904 तादादी 5.61 हेक्टर भूमि के रूप में हुई है, के रिकार्डेड खातेदार है। कानूनी रूप से किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को दरकिनार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित किये बिना अपीलांट को आदेश जैर अपील के माध्यम से उसके अधिकारों से वंचित किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है।

उन्होनें आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि से रेस्पोडेन्ट को कोई सरोकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट्स अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर व कब्जे काश्त पर दखलंदाजी कर रहे है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिकार्ड का अवलोकन किये बिना व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रावधानों पर कोई गौर किये बिना ही अपीलांट्स को उसके अधिकार व ग्रहण की भूमि को अनावश्यक रूप से वाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। वादगत् भूमि पर अपीलांट्स का ट्यूबवैल बनाया हुआ है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो तथ्यों की कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा करवाकर विभाजन कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1974 पेज 446, आरआरटी 2013 पार्ट II पेज 805, आरआरटी 2010 पेज 149, आरआरडी 1985 पेज 30 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही रासीसर के खेत खसरा नम्बर 265 तादादी 22 बीघा 13 बिस्वा जोकि दौराने भू–प्रबन्ध में नये खसरा नम्बर 904 तादादी 5. 61 हेक्टर भूमि के रूप में हुई है, उक्त भूमि फूसराम की जादीगरदारी से पूर्व की कृषि भूमि थी। जिस पर प्रार्थीगण के पति एवं दादा स्व. फूसाराम संवत् 2010 से पूर्व से ही बतौर उपकृषक काश्त करते आ रहे है। ऐसीस्थिति में फूसा वल्द हीरा को बतौर उपकृषक बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में इनका नाम बतौर उपकृषक ही दर्ज चलता रहा।

उन्होनें आगे बताया कि फूसराम की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्रों भंवरलाल, माणकचन्द, सुन्दरलाल व हरिकिशन का वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के तमाम खातेदारी अधिकार स्वमेव ही हासिल हो चुके है। केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में राजस्व अमले की लापरवाही से नाम अंकित नहीं होने से उनके अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रोही मौजा रासीसर के नवीन खेत खसरा नम्बर 904 तादादी 5.61 हेक्टर भूमि के वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है तथा किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादगत् भूमि पूर्व में फूसा वल्द हीरा के नाम दर्ज चली आ रही थी। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व वादगत् भूमि को दावे के निर्णय तक रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वे वादगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति होने से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार होने का कथन किया गया है।

(3) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट्स/रेस्पोडेन्ट्स केक हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि फूसराम के नाम दर्ज रही है। उक्त भूमि अपीलांट्स के नाम किस आदेश के तहत दर्ज की गई है वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के अधिकार उत्पन्न होते है अथवा नहीं? इन सभी तथ्यों का गुणावगुण पर निर्धारण होना अभी शेष है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 16–04–2012 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील आज दिनांक अर्थात वर्ष 2019 तक जैरकार रही है। ऐसीस्थिति में अपीलाधीन आदेश को पारित हुए करीब 07 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। इसी दरमियान वादग्रस्त भूमि को लेकर वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आज दिनांक तक जैरकार है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए किसी भी पक्ष को वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द अर्थात अन्य को बेचान अथवा मौके की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने से प्रकरण में अपीलाधीन

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

...राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश पारित होने के इतनी लम्बी अवधि बाद अनावश्यक पेचिदगियॉं होने की संभावना को बल मिलने की पूर्ण संभावना है।

(4) प्रकरण में चूंकि अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा भूमि अन्तरण अधिनियम, 1952 के प्रावधानों को दृष्टिगत् रखते हुए अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व रहन, बैय नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है। जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 17–02–2012 बहाल रखा जाता है

9. निर्णय आज दिनांक 23–12–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 16:22:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: